भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फ. स. 7/10/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 24 सितम्बर 2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः एडीडी (एसएसआर)-27/2023

विषय: चीन जन. गण. से एनिलिन के आयात के संबंध में सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. **फ. संख्या 7/10/2024**-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और पाटित की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क का संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "नियम" या "एंटी-डंपिंग नियम" के रूप में भी संदर्भित), गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने चीन जन. गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न या उससे निर्यातित अनिलिन (इसके बाद "विषय माल" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले प्रतिसंहृत न किया गया हो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकरण से यह समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत

प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. <u>पिछली जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मूल एंटी-डंपिंग जांच 24 जनवरी 2020 को प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। आवेदक के अनुरोध और पूरी तरह से प्रारंभिक जांच के बाद, प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून 2021 के माध्यम से अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 जुलाई 2020 के तहत अनंतिम शुल्क लगाया।

4. विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचाराधीन देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है। नतीजतन, अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी 2021 के माध्यम से, नामित प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की और 5 साल की अवधि के लिए उपायों को लागू करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 08/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी 2021 के माध्यम से शुल्क लगाया।

5. तत्पश्चात्, प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध पर यह जांच करने के लिए एक मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई थी कि क्या चीन जन. गण. में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने दिनांक 11 दिसंबर 2023 के एफ संख्या 7/25/2022 -डीजीटीआर के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि पाटन रोधी शुल्क लगाने की निरंतर आवश्यकता थी। वर्तमान उपाय 28 जुलाई 2025 तक लागू हैं।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित के रूप में ही है जो इस प्रकार है:

वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। अनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय तरल है और एक प्राथमिक अमाइन यौगिक है। ताजा आसुत होने पर इसका रंग हल्के पीले-पीले तरल में बदल जाता है। प्रकाश या हवा के संपर्क में आने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। अनिलिन एक बुनियादी कार्बनिक रसायन है, जो दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, रंजक और डाई मध्यवर्ती जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक है।

7. वर्तमान आवेदन एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

8. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ कोड 2921 41 10 के तहत अध्याय शीर्षक 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। उत्पाद का कारोबार वजन के आधार पर किया जाता है और माप की निर्धारित इकाई एमटी है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदक ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंधित देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए अल्पकालीन समीक्षा जांच के लिए है। प्राधिकरण द्वारा मूल जांच में भी इस तरह के अनुच्छेद के मुद्दे की जांच पहले ही की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन देश से उत्पादित और आयातित उत्पाद की वस्तु के समान होता है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

10. यह आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। एक अन्य निर्माता है - आरके सिंथेसिस लिमिटेड, जिसने आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक ने कहा है कि उसने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों के उत्पादन का बड़ा हिस्सा होता है।

11. इसे देखते हुए, तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है। इसके अलावा, आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, भले ही नियम 5(3) की आवश्यकताएं सनसेट समीक्षा आवेदन में लागू नहीं होती हैं।

ङ. <u>विषय देश</u>

12. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

च. <u>सामान्य मूल्य</u>

चीन जन. गण.

13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के अनुछेद 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. इसलिए, इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक के उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है, जो उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित है।

छ. <u>निर्यात मूल्य</u>

15. विषय देशों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान प्रणाली महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। तत्पश्चात् प्राधिकरण ने निवल निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

ज. <u>वर्तमान पाटन और पाटन मार्जिन</u>

16. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबंधित देश से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. <u>क्षति और पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना</u>

17. क्षति अवधि के दौरान विषयगत देश से आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। आवेदक ने क्षति की संभावना को स्थापित करने के लिए आधार के रूप में विषयगत देश में क्षमता विस्तार, तीसरे देश की डंपिंग और तीसरे देश से होने वाले क्षतिकारक निर्यात के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। आयात की मात्रा और कीमत तथा क्षति अवधि के दौरान आवेदक का प्रदर्शन दर्शाता है कि आवेदक पाटित किए गए आयातों के कारण क्षति के प्रति संवेदनशील है।आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया संबंधित देश से पाटन की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकरण जांच के लिए आवेदक घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पाटयों से पीओआई पश्चात डाटा मांग सकता है।

18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया संबंधित देश से पाटन की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकरण जांच के लिए आवेदक घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पार्टियों से पीओआई पश्चात डाटा मांग सकता है।

ञ. <u>सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

19. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पाटन और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करते हुए, और नियमों के नियम 23 (1 बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए (5) के अनुसार, प्राधिकरण एतद्द्वारा लागू कर्तव्यों के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करता है (ग) सरकार ने संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी की है और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इस संबंध में कोई सूचना प्रदान की जाती है।

ट. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

20. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 *अप्रैल* 2023 *से* 31 *मार्च* 2024 *तक है।* जांच के लिए क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ठ. <u>प्रक्रिया</u>

21. सूर्यास्त समीक्षा जांच में दिनांक 20 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित मूल अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है, और दिनांक 11 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 7/25/2022-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित मध्यावधि समीक्षा अंतिम निष्कर्ष शामिल होंगे।

22. नियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ड. जानकारी प्रस्तुत करना

23. सभी संचार ईमेल पते dir11-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ dd16-dgtr@gov.in किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हैं।

24. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को संबंधित वस्तुओं और घरेलू उद्योग से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने में सक्षम हो सकें।

25. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी जांच से संबंधित अपने प्रस्तुतीकरण निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।।

ढ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को भेजी जानी चाहिए dir11-dgtr@gov.in और नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ dd16-dgtr@gov.in की जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियमों के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आमंत्रण करने वाले नोटिस को प्राधिकरण द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक

प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त माना जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

ण. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

30. प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय निवेदन करने या सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिसों के अनुसार उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

31. प्रश्नावली के प्रत्युत्तर सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय विवरण अलग-अलग फाइल करने की आवश्यकता होती है।

32. "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

33. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से गोपनीय हैं और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति

की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर सारांशित किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस, इस तरह के संक्षेपण क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

35. इच्छुक पार्टियां इस अधिसूचना के अनुछेद 28 के संदर्भ में दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकती हैं।

36. पाटन रोधी शुल्क नियम, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना या उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।

त. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

थ. <u>असहयोग</u>

39. ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार करता है या अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या समीक्षा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकरण अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जो वह उचित समझे।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी